42

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2015–34(सा0)/12

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 25 जुलाई, 2015

विषयः राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा नगर निकायों के लिए स्वीकृत योजनाओं हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–269/ RAY/DPR-SUDA-40/2014–15, दिनांक 28.10.2014 एवं पत्र संख्याः 455/ RAY/DPR-SUDA-40/2014–15, दिनांक 16.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः G-20011/7/2014/ BSUP(RAY)/JnNURM/Vol.IV(FTS-10774), दिनांक 24.09.2014 पत्र संख्याः G-20011/10/2014/ BSUP(RAY)/JnNURM/Vol.II(FTS-10847), दिनांक 19.01.2015 द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न नगर निकायों हेतु प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश तथा देय राज्यांश की धनराशि स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र सं0 -F.No.I-11016/5/2013-RAY-I(Vol.II)/FTS-12554, दि0–19.05.2015 में दिए गए निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित 06 नगर निकायों हेतु स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 13796.83 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य आकस्मिकता निधि से केन्द्रांश की धनराशि ₹ 3916.10 लाख (रूपये उन्तालीस करोड़ सोलह लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	निकाय का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	निर्मित होने वाले भवनों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रांश	राज्यांश	भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त में अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त की जा रही धनराशि (केन्द्रांश)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बड़कोट	2383.31	396	1653.57	520.77	633.44	633.44
2	भीमताल	667.65	107	447.60	166.32	171.20	171.20
3	केलाखेड़ा	3476.08	638	2640.26	591.57	1015.28	1015.28
4	शक्तिगढ़	2654.84	504	2026.44	434.76	779.40	779.40
5	सितारगंज	3014.87	576	2300.46	520.88	884.78	884.78
6	ऊखीमठ	1600.08	270	1127.85	322.69	432.00	432.00
	योग–	13796.83	2491	10196.18	2556.99	3916.10	3916.10

3– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है–

(i) उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति यथासमय आगामी अनुपूरक अनुदान/नई मांग द्वारा करा ली जायेगी।

(ii) निकायवार स्वीकृत उक्त धनराशि ₹ 3916.10 लाख (रूपये उन्तालीस करोड़ सोलह लाख दस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नगर निकायों को बैंक

ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि नगर निकाय को 03 किस्तों (प्रति किस्त 1/3) में उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि हेतु नगर निकाय द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का एक संयुक्त खाता खोला जायेगा, जिसमें इस योजना की धनराशि को पृथक से रखा जायेगा।

(iv) शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपरोक्त कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता से पूर्ण संस्तुष्ट होने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

(v) योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न पर लाभार्थियों के माध्यम से कराया जायेगा, जिस हेतु नगर निकाय द्वारा लाभार्थी का खाता खुलवाया जायेगा, जिसमें नगर निकाय द्वारा निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी:-

प्रथम किस्त	कार्य शुरू होने से पहले।	भवन लागत का 10 प्रतिशत।
द्वितीय किस्त	भवन निर्माण प्लिन्थ लेवल तक पूर्ण होने पर।	भवन लागत का 30 प्रतिशत।
तृतीय किस्त	भवन में लेन्टर पड़ जाने पर।	भवन लागत का 40 प्रतिशत।
चतुर्थ किस्त	भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर।	भवन लागत का 20 प्रतिशत।

(vi) योजनान्तर्गत भवन निर्माण कार्यों का स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण अधिशासी अधिकारी एवं निकाय के अवर अभियन्ता द्वारा किये जाने के उपरान्त संस्तुति सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही नगर निकाय द्वारा आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

(vii) योजनान्तर्गत निर्धारित O&M Cost एवं Other Charges (डी0पी0आर0 गठन एवं अन्य व्यय) हेतु निर्धारित धनराशि शहरी विकास निदेशालय स्तर पर ही रखी जाय एवं आवश्यकतानुसार निदेशालय स्तर पर व्यय की जाय या स्थानीय निकायों को अवमुक्त की जाय।

(viii) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक-पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) नगर निकायों द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत अवस्थापना कार्यों को नगर निकाय द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड की तकनीकी शाखा (इंजीनियरिंग विंग) के अनुश्रवण में सम्पादित किये जायेंगे। निदेशालय की तकनीकी शाखा की संस्तुति के आधार पर ही नगर निकाय द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों हेतु भुगतान किया जायेगा।

(x) भारत सरकार द्वारा नामित TIPMA (Third Party Independent Monitoring Agency) की निरीक्षण आख्या का निदेशालय द्वारा परीक्षण किया जायेगा। उक्त आख्या में रेखांकित कमियों को दूर कराने के उपरान्त ही आगामी किस्तें निदेशालय द्वारा अवमुक्त की जायेंगी।

(xi) सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक निर्माण कार्य का प्रगति विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों व I-POMS पर शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) योजनान्तर्गत निर्धारित लाभार्थी अंश का भुगतान लाभार्थी द्वारा एवं नगर निकाय अंश का वहन नगर निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(xiii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(xiv) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए एवं निर्माण कार्य पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये।

(xv) योजना के सम्बन्ध में हुई सीएसएमसी बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xvi) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है; किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(xvii) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों हेतु ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(xviii) **योजनान्तर्गत बनाये जाने वाले कुल आवासों में अनुसूचित जाति के न्यूनतम 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 04 प्रतिशत व्यक्तियों को अवश्य ही लाभान्वित किया जायेगा।**

(xix) धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xx) राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि के समायोजन के लिये नई मांग/अनुपूरक मांग के समय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतया 8000 आकस्मिकता निधि लेखा –201 समेकित निधि को विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–08–राजीव आवास योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग के अशा0सं0–195/XXVII(2)/2015, दिनांक 16 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

रा0आ0नि0सं0–57/XXVII(1)/2015, दि0–16 जुलाई, 2015 ।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या–849/IV(2) –श0वि0–15–34(सा0)/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/रूद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/रूद्रप्रयाग।
7. वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून,
11. अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, बड़कोट/भीमताल/कोलाखेड़ा/शक्तिगढ़/सितारगंज/ऊखीमठ।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।